


**बिहार सरकार**  
**नगर विकास एवं आवास विभाग**

**शुद्धि पत्र**

राज्य में लागू नई वित्तीय प्रणाली CFMS Module द्वारा राशि के आवंटन/हस्तांतरण में आ रही कठिनाईयों के फलस्वरूप वित्त विभाग से प्राप्त परामर्श के अनुरूप विभागीय राज्योदश सं०- 29, दिनांक- 02.07.2019 में निम्नलिखित संशोधन किया जाता है :-

- i) कंडिका- 3 में वर्णित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद, बक्सर के स्थान पर निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, प्रशाखा पदाधिकारी-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, नगर विकास एवं आवास विभाग स्थापित किया जाता है।
  - ii) उक्त राज्यादेश द्वारा स्वीकृत राशि को प्रशाखा पदाधिकारी-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, नगर विकास एवं आवास विभाग द्वारा नगर परिषद, बक्सर के PL खाता में CFMS के माध्यम से Inter Departmental विधि से Online हस्तांतरित किया जाएगा।
2. उक्त राज्यादेश की शेष कंडिकाएँ यथावत रहेगी।



(जय प्रकाश मंडल),  
सरकार के विशेष सचिव।

ज्ञापक-2ब०/सडक-09-03/2019 ३१३६ /न०वि०एवंआ०वि०/पटना, दिनांक-३०/०७/१९  
प्रतिलिपि:- महालेखाकार, बिहार, पटना/प्रमंडलीय आयुक्त, पटना/जिला पदाधिकारी, बक्सर/प्रबंध निदेशक, बुडको/कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद, बक्सर/कार्यपालक अभियंता, बुडको, बक्सर/कोषागार पदाधिकारी, संबंधित कोषागार/योजना एवं विकास विभाग/वित्त विभाग (बजट प्रशाखा) /प्रधान सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग के आप्त सचिव/प्रशाखा पदाधिकारी-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, नगर विकास एवं आवास विभाग/लेखापाल, नगर विकास एवं आवास विभाग विभागीय मंत्री के आप्त सचिव/स्थानीय लेखा परीक्षक, पटना/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा- 02 एवं 07, नगर विकास एवं आवास विभाग/विभागीय आई०टी० मैनेजर को विभागीय वेवसाईट पर अपलोड करने हेतु/कार्यवाहक सहायक, नगर विकास एवं आवास विभाग, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।



सरकार के विशेष सचिव।

76

\*ई-मेल  
स्पीड पोस्ट/निबंधित  
डाक

पत्रांक-2ब०/सड़क-09-01/2018

29

/न०वि०एव०आ०वि०

## बिहार सरकार नगर विकास एवं आवास विभाग

प्रेषक,

जय प्रकाश मंडल,  
सरकार के विशेष सचिव।

सेवा में,

महालेखाकार,  
बिहार, पटना।

\*द्वारा-आन्तरिक वित्तीय सलाहकार

\*अनौपचारिक  
रूप से परामर्शित

पटना, दिनांक- 02/07/2019

विषय:- विभिन्न नगर निकायों में पूर्व में पथ एवं पुलिया निर्माण मद अंतर्गत स्वीकृत योजना के लिए देनदारी की राशि कुल ₹36.38450 लाख (छत्तीस लाख अड़तीस हजार चार सौ पचास रु०) मात्र वित्तीय वर्ष 2019-20 में सहायक अनुदान के रूप में राशि की स्वीकृति।

आदेश:- स्वीकृत।

वित्तीय वर्ष 2018-19 में विभिन्न नगर निकायों में पथ एवं पुलिया निर्माण मद की निम्नलिखित तालिका के स्तम्भ- 3 में स्वीकृत योजना के लिए आवंटित राशि के व्ययोपरांत अवशेष राशि की अधियाचना योजनाओं के लिए कार्यकारी एजेंसी बुडको के कार्यपालक अभियंता, बक्सर के पत्रांक- 78, दिनांक- 20.03.2018 द्वारा किया गया है।

2. उक्त अधियाचना के आलोक में निम्न तालिका के स्तम्भ- 3 में वर्णित योजना के लिए स्तम्भ- 8 के अनुरूप देनदारी की कुल राशि ₹36.38450 लाख (छत्तीस लाख अड़तीस हजार चार सौ पचास रु०) मात्र की स्वीकृति पथ एवं पुलिया निर्माण मद से निम्नवत् प्रदान की जाती है:-

(राशि लाख में)							
क्र० सं०	नगर निकाय का नाम	योजनाओं का नाम	राज्यादेश संख्या/ दिनांक	प्रशासनिक स्वीकृति की राशि	पूर्व में आवंटित राशि	अवशेष राशि (5-6)	स्वीकृत कुल अवशेष राशि
1	2	3	4	5	6	7	8
1	नगर परिषद, बक्सर	वार्ड सं०- 09 में श्रीमती मंजू कुमारी के घर के पी०सी०सी० रोड से उत्तर के तरफ मेहता जी के घर होते हुए जेल पाईन सड़क तक गली का पी०सी०सी० पथ एवं आर०सी०सी० नाला निर्माण कार्य।	63/ 27.09.2018	30.31300	15.15650	15.15650	15.15650
2		वार्ड सं०- 16 में श्री रामाशंकर यादव के घर से वाईन रोड तक गली का पी०सी०सी० एवं आर०सी०सी० नाला निर्माण कार्य।		42.45600	21.22800	21.22800	21.22800
कुल योग				72.76900	36.38450	36.38450	36.38450

25

अर्थात् कुल स्वीकृत राशि ₹36.38450 लाख (छत्तीस लाख अड़तीस हजार चार सौ पचास रु०) मात्र।

*इसके लिए CFMS के माध्यम से आवंटनादेश निर्गत किया जायेगा।*

3. उक्त स्वीकृत ₹36.38450 लाख (छत्तीस लाख अड़तीस हजार चार सौ पचास रु०) मात्र के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद्, बक्सर होंगे जिनके द्वारा वित्त विभाग के परिपत्र सं०- 2561, दिनांक- 17.04.98 एवं पत्रांक- 256, दिनांक- 26.02.2019 में निहित अनुदेशों के आलोक में की जायेगी। *कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद्, बक्सर द्वारा निकासी के उपरांत राशि का हस्तांतरण बैंक ड्राफ्ट/चेक के माध्यम से कार्यकारी एजेंसी बुडको को कर दी जाएगी।* राशि की निकासी किसी भी परिस्थिति में AC विपत्र पर नहीं की जायेगी।
4. चूँकि यह अनुदान है, इसलिए बिहार कोषागार संहिता के नियम- 431 के आलोक में यथा B.T.C. फॉर्म सं०- 42 में राशि की निकासी की जायेगी। वित्त विभाग के परिपत्र संख्या- 1496, दिनांक- 22.02.2008 के आलोक में राशि की निकासी हेतु विपत्र तैयार कर संबंधित कोषागार में प्रस्तुत किया जायेगा। राशि के भुगतान के पश्चात् विभागीय पत्रांक- 63, दिनांक- 11.01.2019 के आलोक में उपयोगिता प्रमाण-पत्र BCT- 42A फॉर्म में तैयार कर रोकड़ बही की संबंधित पृष्ठ की अभिप्रमाणित छायाप्रति के साथ निश्चित रूप से विभाग को उपलब्ध करायी जायेगी।
5. वित्त विभाग के संकल्प सं०- 573, दिनांक- 16.01.1975 एवं एम 04-15/2009-9736, दिनांक- 19.10.2011 एवं बिहार कोषागार संहिता के नियम 271(ड) के अनुसार “सहायता अनुदान की राशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र स्वीकृत्यादेश की तिथि से 18 माह के अंदर महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) बिहार, पटना के कार्यालय को प्रेषित किया जाना है।”
6. उक्त स्वीकृत ₹36.38450 लाख (छत्तीस लाख अड़तीस हजार चार सौ पचास रु०) मात्र की निकासी मांग संख्या- 48 मुख्य शीर्ष- 2217-शहरी विकास, उपमुख्य शीर्ष- 03-छोटे तथा मध्यम श्रेणी के नगरों का समेकित विकास, लघु शीर्ष- 193-नगर पंचायतों-अधिसूचित क्षेत्र की समितियों या उनके समतुल्य को सहायता, उपशीर्ष- 0103-परिवहन के लिए शहरी स्थानीय निकायों को सहायक अनुदान, विपत्र कोड- 48-2217031930103, विषय शीर्ष- 0103.31.05 सहायक अनुदान परिसंपत्तियों के निर्माण से की जायेगी।
7. स्वीकृत राशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र विहित प्रपत्र में सरकार को उपलब्ध कराया जाय। योजना के कार्यान्वयन का भौतिक एवं वित्तीय त्रैमासिक प्रगति प्रतिवेदन भी सरकार को अवश्य उपलब्ध कराया जाये।
8. वित्त विभाग के परिपत्र सं०- 7355 वि(2), दिनांक- 05.10.07 में निहित अनुदेश के आलोक में राशि की निकासी के लिए महालेखाकार, बिहार, पटना के प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं होगी।

9. आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति संचिका संख्या 2ब०/सड़क-09-03/2019 के पृष्ठ सं०-.....०५...../टि० पर दिनांक-०१.०७.२०१९ को प्राप्त है एवं सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन पृष्ठ सं०-.....०६...../टि० पर दिनांक-०१.०७.२०१९ को प्राप्त है ।

10. भारतीय लेखा एवं अंकेक्षण विभाग को इससे संबंधित अभिलेखों को देखने एवं जाँच पड़ताल करने का पूर्ण अधिकार होगा ।

11. इसकी सूचना संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त, पटना/जिला पदाधिकारी, बक्सर/प्रबंध निदेशक, बुडको/कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद्, बक्सर/कोषागार पदाधिकारी, संबंधित कोषागार एवं अन्य को भी दी जा रही है ।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

02.07.19

सरकार के विशेष सचिव ।

ज्ञापांक-2ब०/सड़क-09-03/2019 29 /न०वि०एवंआ०वि०/पटना, दिनांक- 02/07/2019

प्रतिलिपि:- प्रमंडलीय आयुक्त, पटना/जिला पदाधिकारी, बक्सर/प्रबंध निदेशक, बुडको/कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद्, बक्सर/कार्यपालक अभियंता, बुडको, बक्सर/कोषागार पदाधिकारी, संबंधित कोषागार/योजना एवं विकास विभाग/वित्त विभाग (बजट प्रशाखा)/प्रधान सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग के आप्त सचिव/विभागीय मंत्री के आप्त सचिव/स्थानीय लेखा परीक्षक, पटना/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा- 02 एवं 07, नगर विकास एवं आवास विभाग/विभागीय आई०टी० मैनेजर को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु/कार्यवाहक सहायक, नगर विकास एवं आवास विभाग, पटना (5 प्रतियों में) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

02.07.19

सरकार के विशेष सचिव ।

